म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, अरेरा हिल्स,किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क./मंडी/प्रां/विविध/45/44/557 भोपाल,दिनांक 27/06/2019

प्रति,

भारसाधक अधिकारी/सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति
........................जिला...........................(समस्त)

विषयः– कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी प्रांगण में कृषकों के भुगतान हेतु पेमेन्ट काउंटर एवं कव्हर्ड शेड में कृषि उपज की तौल हेतु सुविधा उपलब्ध कराये जाने बाबत।

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रांगण में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कृषकों की कृषि उपज मण्डी प्रांगण के घोष विक्रय में क्रय किये जाने के उपरांत उन्हें निर्मित संरचना आवंटित नही होने के कारण कृषकों की उपज का भुगतान मण्डी प्रांगण के बाहर उनके निजी संस्थान/प्रतिष्ठान पर किया जा रहा है। जबकि मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 37(2) के अंतर्गत यह प्रावधानित है कि ''मण्डी प्रांगण में क्रय की गई कृषि उपज के कीमत का भुगतान विक्रेता को उसी दिन मण्डी प्रांगण में किया जाएगा'' यह उक्त प्रावधान का उल्लघंन है।

कृषि उपज मण्डी समिति के प्रांगण में निर्मित कृषक विश्राम गृह जिसका उपयोग कृषको द्वारा नही किया जा रहा है। उक्त कृषक विश्राम गृह में मण्डी समिति के अनुज्ञप्तिधारियों के लिये वैकल्पिक रूप से पेमेन्ट काउन्टर की व्यवस्था कर कृषकों को उनकी कृषि उपज का भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि कृषक विश्राम गृह में स्थान उपलब्ध नही है तो अन्य स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करे।

मण्डी समिति के अनुज्ञप्तिधारी को प्रांगण में गोदाम उपलब्ध न होने के कारण कृषकों की कृषि उपज घोष विक्रय के उपरांत कृषि उपज उनकी तौल अपने संस्थान/प्रतिष्ठान पर की जाती है जबकि म.प्र.कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 के प्रावधान के तहत कृषक की कृषि उपज की तौल मण्डी प्रांगण में होना चाहिए, यदि ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जिनके पास दुकान/गोदाम उपलब्ध नही है, उन्हें मण्डी प्रांगण में निर्मित कव्हर्ड शेड जिसका उपयोग नही किया जा रहा है, ऐसे कव्हर्ड शेड में कृषकों की कृषि उपज की तौल हेतु वैकल्पिक रूप से कृषकों की कृषि उपज के तौल हेतु स्थान उपलब्ध कराये, यहां यह भी सुनिश्चित किया जावे कि जिससे मण्डी का विपणन कार्य प्रभावित न हो। उक्त स्थान केवल अस्थाई तौर पर ही उपलब्ध करावे तथा यह भी सुनिश्चित करे कि उसी दिवस या अधिकतम अगले दिवस शेड रिक्त कराया जाये।

अतः कृषकों को उनकी कृषि उपज की तौल एवं भुगतान प्रांगण मे ही कराया जाना सुनिश्चित करें।

(फैज अहमद किदवई) 25/6
प्रबंध संचालक, सह–आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क./मंडी/प्रां/विविध/45/44/ 558 भोपाल,दिनांक27/06/2019

प्रतिलिपि—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सचिव, प्रबंध संचालक कक्ष, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
2. अपर संचालक/संयुक्त संचालक (समस्त) मण्डी बोर्ड मुख्यायल भोपाल।
3. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय.......... (समस्त)
4. अधीक्षण यंत्री,म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।

प्रबंध संचालक, सह—आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल